पाठ 17

राज्यपाल एवं राज्य मंत्रि-परिषद्

आइए सीखें

- 'राज्यपाल' पद की अर्हताएँ एवं शक्तियाँ क्या हैं?
- राज्य मंत्रि-परिषद् कैसे गठित होती है?

इस पाठ के पूर्व आपने सीखा कि राज्य विधानमण्डल क्या है? विधायकों का चुनाव कैसे होता है? तथा इनके कार्य क्या हैं? इस पाठ में हम राज्य कार्यपालिका (राज्यपाल एवं राज्य मंत्रि-परिषद्) के विषय में सीखेंगे।

राज्यपाल

राज्यपाल, राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल के नाम से ही राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं।

राज्यपाल की नियुक्ति

राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र की मंत्रि-परिषद् की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु राष्ट्रपति द्वारा इसके पूर्व भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल स्वयं भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति कार्यवाहक राज्यपाल भी बना सकते हैं।

राज्यपाल पद हेतु अर्हताएँ

राज्यपाल पद हेतु निम्नलिखित अर्हताएँ आवश्यक हैं—

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. संसद अथवा राज्य विधानमण्डल का सदस्य न हो
4. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो।

शिक्षण संकेत

- शिक्षक मंत्रि-परिषद् के कार्यों के चार्ट बनाकर बच्चों को विस्तारपूर्वक समझाएँ।

राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण

राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय अथवा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद तथा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है।

राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य

कुछ बातों को छोड़कर राज्य में राज्यपाल की शक्तियाँ वहीं हैं जो केन्द्र सरकार में राष्ट्रपति की हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के अन्य पदाधिकारियों जैसे- राज्य महाअधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मानव अधिकार आयोग के सदस्य, राज्य के मुख्य सचिव, लोकायुक्त आदि की नियुक्ति करता है। यह नियुक्तियाँ राज्य मंत्रि-परिषद् की अनुशंसा से की जाती हैं। राज्यपाल, राज्य विधानमण्डल की बैठक बुलाने तथा उसे स्थगित करने का कार्य करता है।

विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून कहलाते हैं। जब विधानसभा की बैठकें नहीं चल रही हों और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। इसे 'अध्यादेश' कहा जाता है। ये कानून के समान ही होते हैं।

यदि राज्यपाल को यह लगे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, दलबदल या किसी अन्य कारण से सरकार का कार्य संचालन कठिन हो जाए तो राज्यपाल, राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है।

राज्य मंत्रि-परिषद्

विधानसभा सदस्यों के चुनाव के बारे में आपने पिछले पाठ में सीखा है। आपने यह भी सीखा है कि विधानसभा चुनावों के लिए पूरे राज्य को विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है।

संविधान के अनुसार, ''राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् गठित की जावेगी, इस परिषद् का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा।''

हमारे संविधान में निहित है कि विधानसभा चुनावों में जिस दल के विधायकों की संख्या निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधे से अधिक होगी अर्थात् जिस दल का बहुमत होगा उसका नेता मुख्यमंत्री होगा। कभी-कभी दो या अधिक राजनीतिक दल (निर्दलीय भी) आपस में गठबंधन बनाकर अपना नेता चुन लेते हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रियों के विभागों का बँटवारा करते हैं।

मंत्रि-परिषद् की चार श्रेणियाँ होती हैं—

1. कैबिनेट मंत्री

2. राज्यमंत्री

3. उपमंत्री

4. संसदीय सचिव।

मंत्रि-परिषद् के सदस्य बनने के लिए राज्य विधानमण्डल का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नियुक्ति के समय ऐसा नहीं है तो 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

मंत्रि-परिषद् के कार्य व शक्तियाँ

विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना मंत्री परिषद् का मुख्य कार्य है। मंत्रि-परिषद् ही राज्य शासन की नीतियों का निर्धारण करती है, तथा राज्यपाल को शासन संबंधी सलाह देती है। राज्य मंत्रि-परिषद् ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है।

इसके कार्य व शक्तियाँ इस प्रकार हैं–

- **राज्य हेतु नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना** : राज्य मंत्रि-परिषद् राज्य के विकास एवं संचालन हेतु नीति निर्धारण करता है। वह इन नीतियों के लागू करने हेतु आवश्यक आदेश एवं निर्देश प्रसारित करता है। वह प्रशासकीय स्तर पर इन नियमों के क्रियान्वयन पर भी निगरानी रखता है।

- **राज्यपाल को परामर्श देना :** राज्य मंत्रि-परिषद् राज्य के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है। उसके बाद राज्यपाल नियुक्तियाँ करते हैं।

- **विधायी कार्य :** शासकीय विधेयक मंत्रि-परिषद् के सदस्य तैयार करते हैं एवं व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत करते हैं। मंत्रि-परिषद् के सदस्य ही विधानमंडल में विधेयक संबंधी जानकारी, प्रश्नों और समालोचनाओं के उत्तर देते हैं। यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित नहीं होता है तो संपूर्ण मंत्रि-परिषद् द्वारा त्यागपत्र देना आवश्यक है।

- **वित्तीय कार्य :** राज्य विधान परिषद् राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आय-व्यय संबंधी प्रस्ताव तैयार करती है, जिसे वित्त विधेयक कहते हैं। जिसे वित्तमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत कर मंत्रि-परिषद् स्वीकृत करवाती है।

अभ्यास प्रश्न

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(1) ..... राज्य का प्रमुख होता है।

(2) मुख्यमंत्री की नियुक्ति ..... करता है।

(3) मंत्रि-परिषद् का मुखिया ..... होता है।

(4) राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु आयु ..... वर्ष होना चाहिए।

2. निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए–

	(अ)	(ब)
(1)	राज्यपाल की नियुक्ति	पाँच
(2)	राज्यपाल का कार्यकाल	कानून को लागू करना
(3)	मंत्रि-परिषद् की श्रेणियाँ हैं	चार
(4)	मंत्रि-परिषद् का मुख्य कार्य है	राष्ट्रपति

3. लघु उत्तरीय प्रश्न–

(1) राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से चलाए जाते हैं?

(2) राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं?

(3) मंत्रि-परिषद् की श्रेणियों के नाम लिखिए।

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न–

(1) राज्य मंत्रि-परिषद् के कार्यों का वर्णन कीजिए?

(2) राज्यपाल बनने के लिए क्या-क्या अर्हताएँ होनी चाहिए?

(3) राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब व क्यों जारी किया जाता है?

परियोजना कार्य–

- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के नाम व उनके कार्यकाल की सूची/चार्ट तैयार कर अपनी कक्षा में लगाइए।